संoसंo–1/पoमेoकॉo–03/2018– 641(1)स्वा

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

**राधेश्याम साह,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**प्राचार्य,**
पटना मेडिकल कॉलेज,
पटना।

पटना, दिनांक– 6 /11 /2018

**विषयः– पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को विपत्र कोड–20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 18,01,90,000/–(रुपये अठ्ठारह करोड़ एक लाख नब्बे हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के पत्रांक–5079, दिनांक–13.10.2018 के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को विपत्र कोड–20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू0 18,01,90,000/–(रुपये अठ्ठारह करोड़ एक लाख नब्बे हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0001–पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–20–2210051050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

क्रमशः

8. इस आवंटनादेश द्वारा 0001.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए भी राशि शामिल है।

9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

**(राधेश्याम साह)**
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0मे0कॉ0–03/2018– 641(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 6/11/2018

**प्रतिलिपिः–** महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

## पटना मेडिकल कॉलेज, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050001 को वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

| विषय शीर्ष | संयुक्त बजट उपबंध | पूर्व का संयुक्त कुल आवंटन | पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को वर्तमान आवंटन | कुल संयुक्त आवंटन | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0001.01.01 वेतन | 500000000 | 375000000 | 110000000 | 485000000 | 15000000 |
| 0001.01.03 जीवन यापन भत्ता | 62475000 | 46856250 | 15000000 | 61856250 | 618750 |
| 0001.01.04 मकान किराया भत्ता | 98560000 | 73920000 | 24000000 | 97920000 | 640000 |
| 0001.01.05 परिवहन भत्ता | 16478000 | 12358500 | 4000000 | 16358500 | 119500 |
| 0001.01.06 चिकित्सा भत्ता | 4344000 | 3258000 | 1000000 | 4258000 | 86000 |
| 0001.01.07 अन्य भत्ता | 91000 | 68250 | 20000 | 88250 | 2750 |
| **योग– वेतन एवं भत्ते** | **681948000** | **511461000** | **154020000** | **665481000** | **16467000** |
| 0001.05.01 पुरस्कार | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 |
| 0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 4000000 | 2000000 | 1500000 | 3500000 | 500000 |
| 0001.11.01 यात्रा व्यय | 1050000 | 525000 | 500000 | 1025000 | 25000 |
| 0001.13.01 कार्यालय व्यय | 10000000 | 5000000 | 4500000 | 9500000 | 500000 |
| 0001.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव | 1000000 | 500000 | 440000 | 940000 | 60000 |
| 0001.13.03 दूरभाष | 160000 | 80000 | 70000 | 150000 | 10000 |
| 0001.13.04 विद्युत प्रभार | 50500000 | 50500000 | 0 | 50500000 | 0 |
| 0001.13.05 विधि प्रभार | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |
| 0001.13.06 वर्दी/पोशाक | 820000 | 820000 | 0 | 820000 | 0 |
| 0001.14.01 किराया महसूल एवं कर | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 |
| 0001.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण | 300000 | 150000 | 120000 | 270000 | 30000 |
| 0001.20.01 आतिथ्य व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार | 250000 | 125000 | 100000 | 225000 | 25000 |
| 0001.20.03 प्रशिक्षण व्यय | 3000000 | 1500000 | 1200000 | 2700000 | 300000 |
| 0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ | 2200000 | 1100000 | 900000 | 2000000 | 200000 |
| 0001.21.02 दवा भण्डार | 200000 | 150000 | 35000 | 185000 | 15000 |
| 0001.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 0001.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001.28.02 संविदा सेवायें | 52500000 | 39375000 | 12300000 | 51675000 | 825000 |
| 0001.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा | 350300000 | 350300000 | 0 | 350300000 | 0 |
| 0001.52.01 मशीनें एवं उपस्कर –कार्यालय | 10000000 | 5000000 | 4500000 | 9500000 | 500000 |
| कुल योगः– | **1181788000** | **972141000** | **180190000** | **1152331000** | **29457000** |

**(रुपये अठ्ठारह करोड़ एक लाख नब्बे हजार)**

64(1)90
6-11-18

6.11.18

**सरकार के विशेष सचिव**